RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-01
January -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

भारत में पंचायती राज व्यवस्थाः सिंहावलोकन

डॉ. कुमकुम शर्मा

सहायक आचार्य, राजनीतिक विज्ञान विभाग, सेन्ट विल्फ्रेड पी.जी. कॉलेज, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान (भारत)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 10 January 2019

Keywords
स्वायत्तशासी संस्थाएँ, ग्रामीण स्वशासन,सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज, समितियाँ संविधान संशोधन।

ABSTRACT

1880 से 1884 के मध्य का ब्रिटिश काल भारत में पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। इस संदर्भ में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख भारत के प्राचीनतम ग्रथ **"ऋग्वेद"** में मिलता है। जिसका उल्लेख **'सभा'** एवं समिति के रुप में किया गया है। ग्रामीण स्तर पर यह स्वायत्तशासी संस्थाये (पंचायत) केन्द्र में राजनीतिक हलचल के बावजूद भी सत्ता परिवर्तन से निष्प्रभावित रही तथा आदिकाल से लेकर वर्तमान तक निरन्तर किसी न किसी रुप में कार्यरत रही है। अतः पंचायती राज संस्थाओं को लोकतंत्र की सबसे छोटी संवैधानिक इकाई माना गया है।

प्रस्तावना

राजनीतिक व्यवस्था में पंचायत राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। पंचायत राज व्यवस्था लोकतंत्र की संकल्पना को अधिक यर्थाथ अस्तित्व प्रदान करती है। पंचायती राज व्यवस्था के स्थानीय लोगों की शासन कार्यों में अनवरत रुचि बनी रहती है। क्योंकि वे अपनी समस्याओं का स्थानीय पद्धति से समाधान कर सकते है। ये लोग अपने स्तर पर नियामकीय एवं वैकासिक कार्यों का सम्पादन करने में सहायक सिद्ध होते है।

सरकार की पंचायती राज संस्थाओं की इकाईयों का निश्चित क्षेत्र होता है। उनकी अपनी जनसंख्या होती है तथा उनकी अपनी संरचना और सत्ता होती है। पंचायत सरकारो की स्थापना समाज की निश्चित आधारभूत आवश्यकताओं की सही संचालन हेतु की जाती है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्राय सभी सरकारों में जनसाधारण को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। ये प्रतिनिधि स्थानीय कार्यों के सम्पादन के प्रतिनिधि के साथ में कार्य करते है।

भारत में पंचायती राज शासन की जड़े कही अधिक गहरी और प्राचीन है। भारत देश में अनेकानेक आक्रमणों क्रातियों से सामाजिक, सांस्कृति जीवन की अभिरक्षा के ग्रामीण गणतंत्रों की अहम भूमिका रही है। **राधा कुमुद मुखर्जी** एवं **हिन्दु पौलिटी** के रचनाकार **बेनी प्रसाद** ने भी प्राचीन राज व्यवस्था में ग्रामीण समुदाय के स्वतंत्र इकाई के रुप में क्रियाशील होने की बात कही है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए पंचायती राज की संस्थाएँ अनिवार्य है पंचायती राज केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय इकाई होती है जिसमें जिला, नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते है और जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते है।

पंचायती राज के वर्तमान ढ़ाँचे को केवल **बलवंत राय मेहता** समिति की सिफारिशों से जोड़कर देखता उचित नही होगा। आज पंचायती राज का जो भी ढ़ाँचा है वह वस्तुतः एक लम्बी विकास प्रक्रिया का परिणाम और अभी भी इसे अंतिम स्थिति नहीं कहा जा सकता इस विकास क्रम में पंचायती राज के ढाँचे को अनेक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तत्वों ने प्रभावित किया है।

प्राचीन भारत में पंचायती राज

भारत में पंचायती राज की अति प्राचीन पृष्ठभूमि रही है, यद्यपि उसका स्वरुप पृथक–पृथक रहा है, शासन के स्वरुप में अन्तर रहा है, अतः भारत में ग्रामीण शासन की संस्थाओ के स्वरुप में भी विभेद होना स्वाभाविक है। वर्तमान में पंचायत राज संस्थाओं की भारत में एक अनवरत परम्परा रही है, यद्यपि उनमे क्षेत्रिय एवं ऐतिहासिक विभेद अवश्य रहा है। पंचायती राज की कल्पना, स्वरुप एवं उसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अवधारणा का इतिहास वैदिक काल से पूर्व का है।

वैदिक काल में पंचायती राज

वैदिक साहित्य में पंचायती राज की संगठित व्यवस्था के कुछ संदर्भ मिलते है। उस समय में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका मुखिका ग्रामीणी कहलाता था। वैदिक काल में राज्य छोटे थे। इस छोटे आकार के कारण ग्रामीण समुदाय की महत्ता में वृद्धि स्वाभाविक थी। समय के साथ राज्यों के आकार का विस्तार हुआ किन्तु ग्राम प्रशासन की महत्ता को कम नही किया। 5000 ई. पू. से 3500 ई. पू. तक वेदो में राज्य के विभिन्न कर्मचारियों की भूमिका के अन्तर्गत पंचायतों का उल्लेख मिलता है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

बौद्ध काल में पंचायती राज

बौद्ध काल में ग्रामों की शासन व्यवस्था सुनिश्चित और सुंगठित थी। सम्पूर्ण जनपद के शासन की इकाई ग्राम थे। ग्राम के शासक को ग्रामयोजक कहते थे। ग्राम योजक का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण था। ग्रामयोजक के कार्यों के विरुद्ध राजा के पास अपील की जा सकती थी। बौद्धकालीन सामाजिक अवस्था में ग्राम व्यवस्था से तत्कालीन प्रशासनिक स्थिति का बोध होता है। बौद्ध कालीन भारत मे राज व्यवस्था ग्राम, निगम श्रेणी आदि के रुप मे विभाजित थी। इस काल मे भारतीय समाज व्यवसाय के आधार पर विभिन्न समूहों में बंटा हुआ प्रतीत होता है। निगम शासन की सबसे छोटी इकाई थी।

मौर्य काल मे पंचायती राज

कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकाल की ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था विवरण प्रदान करता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों की शासन एवं न्याय व्यवस्था का उल्लेख किया है। स्थानीय विवादों का निर्णय ग्राम वृद्धो व सामन्तों द्वारा किया जाता है। चन्द्रगुप्त के सामाज्य में गाँव का शासन ग्रामसभा के द्वारा होता था। ग्राम सभा की व्यवस्था पूर्व कालीक शासकों से सर्वथा भिन्न थी।

ब्रिटिश काल में पंचायती राज

19वीं शताब्दी के उत्तार्द्ध में ही ब्रिटिश सरकार के नीति–पत्रों में पंचायती राज की चर्चा होने लग गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के लिये यह आवश्यकता थी कि स्थानीय सुविधाओं के दायित्व और उनकों संचालित करने हेतु वांछित आर्थिक भार से सरकार मुक्त हो जाये विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु आधारभूत ढाँचे का होना बहुत आवश्यक था।

अंग्रेज शासको ने ग्रामीण स्वशासन के स्थान पर अधिकारी तंत्र को प्रोत्साहित किया, ताकि भारतीय जनता का अधिकाधिक शोषण किया जा सके। ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत गांवो की आत्मनिर्भरता की व्यवस्था नष्ट हो गई थी और पंचायत व्यवस्था भी पूर्णतः शिथिल हो गई थी। अंग्रेजों ने पंचायतों के महत्व को समझा और सन् 1920 ई. मे सभी प्रान्तों में ग्रांम पंचायत अधिनियम पारित कर उसे अधिकारी के साथ क्रियान्वित किया।

अंग्रेज शासकों ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए, इन प्रयासों में वायसराय लार्ड रिपन का सन् 1882 का प्रस्ताव उल्लेखनीय है जिसके द्वारा ब्रिटिश शासन के अधीन समस्त गांवो तक कानूनी रुप से पंचायती राज का विस्तार किया गया। लार्ड रिपन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड अथवा मण्डलों की स्थापना का सुझााव दिया था।

ब्रिटिश काल में यद्यपि पंचायत राज व्यवस्था का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए काफी प्रयास किए गए किन्तु इसकी जड़ें बहुत गहरी होने के कारण उनका यह प्रयास सफल नही हो पाया।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में पंचायती राज की दिशा में एक नई पहल प्रारम्भ हुई। 26 जनवरी 1950 को भारत में नवनिर्मित संविधान में पंचायती राज को राज्यों की कार्य सूची के अन्तर्गत रखा गया।

संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया कि "राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा, जो उनको स्वायत्त शासन इकाई के रुप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। पंचायती राज की स्थापना की पृष्ठभूमि में स्वायत्तशासी को विशेष महत्व प्रदान करते हुए संविधान में भी इसे स्थान दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतात्रिंक विकेन्द्रीकरण की दिशा में पहला प्रयास" सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ 2 अक्टूम्बर 1952 से किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक विकास था।

सन् 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जनसहभागिता की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में अध्ययन करके सुझाव देने हेतु **बलवन्त राय मेहता** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में योजना आयोग का मत था कि **"सामुदायिक विकास"** केन्द्र को इस रुप में विकसित करना सरल होगा कि वह ग्रामीण तथा नगरीय दोनो ही क्षेत्रों में समाज कल्याण के विकास का बीज केन्द्र सिद्ध हो सके। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य "अधिकतम लोगो का अधिकतम कल्याण" करना था, परन्तु सामुदायिक विकास कार्यक्रम नौकरशाही द्वारा संचालित होने के कारण विफल हो गया। सामुदायिक योजना देश में एक आन्दोलन के रुप में उभरकर सामने आयी। स्वतन्त्रोत्तर भारत में पंचायती राज की शुरूआत तत्कालीन सामुदायिक विकास योजनाओं को सफल बनाने तथा आर्थिक–सामाजिक क्रांति को ग्रामीण धरातल पर कार्यान्वित करने की दृष्टि से स्थापित की गई थी।

बलवन्त राय मेहता समिति

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभावी रुप ग्रहण न कर पाने के कारण 1957 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 24 नवम्बर 1957 को केन्द्र सरकार को पेश की जिसमे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की

असफलता का कारण लोकप्रिय नेतृत्व का अभाव बताया तथा राजनीति सत्ता का विकेन्द्रीकरण उच्च से निम्न स्तर पर कर दिया जाए जिसमे विकास कार्यक्रमों में क्षेत्र के प्रतिनिधियों की प्रभावी भूमिका निर्धारित हो सके। अतः 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने मेहता समिति की अनुशंसाओं को यथास्वरुप स्वीकार कर लिया। मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत अभिशंकाओं में जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रतिमान प्रस्तुत किया गया उसे कालान्तर में पंचायती राज के नाम से जाना गया। बलवन्त राय मेहता समिति ने पंचायती राज हेतु त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया था –

- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
- खण्ड स्तर पर पंचायत समिति
- जिला स्तर पर जिला परिषद्

मेहता समिति का मानना था कि पंचायत राज वस्तुतः विकास कार्यक्रमों में जनसाधारण की भागीदारी का संस्थागत रुप होगा। मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप पंचायत राज व्यवस्था का 2 अक्टूम्बर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में शुभारम्भ किया गया।

अशोक मेहता समिति

सन् 1966 के उपरान्त पंचायती राज के महत्व में कमी आने के परिणामस्वरुप लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूल भावना आहत हुई और केन्द्रीकरण की नीतियों को बल मिलने लगा। अशोक मेहता समिति के अनुसार राजनैतिक दृष्टि से पंचायती राज ने भारत भूमि में प्रजातंत्र के बीज बोये है। नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया है तथा प्रशासनिक दृष्टि से अभिजात्य नौकरशाही एवं आम–जन के बीच की गहरी खाई को समाप्त किया। सन् 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति का गठन, पंचायती राज के गठन, दायित्व, कार्यप्रणाली एवं विकास में इनकी भूमिका का अध्ययन करने हेतु किया गया। अतः अशोक मेहता समिति ने संस्थागत ढाँचे में परिवर्तन के सम्बन्ध मे त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय स्वरुप पर जोर दिया वे स्तर थे–

- जिला मण्डल
- मण्डल पंचायत

अशोक मेहता समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार नही किया जा सका और कुछ सिफारिशे ही लागू हो सकी।

जी. वी. के. राव समिति

25 मार्च 1985 में ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था एवं गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु डॉ. जी. वी. के. राव. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति अनुसार जनभागीदारी को स्थानीय स्तर पर योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को जन भागीदारी के वाहक के रुप में उपयोग में लिया जाना चाहिए। समिति ने जिला परिषदों की स्थिति को सुदृढ़ करने तथा नीचे के स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यक्रमों की योजना में सम्मिलित करने का सुझाव दिया राव समिति ने चतुस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को स्थापित करने की सिफारिश पेश की –

- राज्य विकास परिषद
- जिला परिषद
- पंचायत समिति
- मण्डल पंचायत और ग्राम सभा

समिति का मत था कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय बनाया जाये तथा उन्हे पूरा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।

एल. एम. सिघवी. समिति

16 जून, 1986 ग्रामीण विकास मंत्रालय के आग्रह पर डॉ. लक्ष्मीमल सिघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। डॉ. एल. एम. सिघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्य प्रणाली, व्यवहारिक भूमिका राजनीतिक और नौकरशाही के उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण तथा दयनीय स्थिति के कारणों को स्पष्ट किया समिति ने 5 नवम्बर 1986 को प्रस्तुत विचार पत्र में ग्राम सभा के महत्व को उजागर करते हुए इसे ग्रामीण जन सहभागिता का सशक्त माध्यम बताया। समिति ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलाप, कार्य विधि, सांगठनिक ढाँचे का पुनर्गठन और उनके अधिकार–शक्तियों को लेकर समय–समय पर जो समितियाँ गठित हुई उनकी सिफारिशों पर यदि गहनता से विचार करे तो प्रतीत होगा कि सभी समितियों ने इन संस्थाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधारभूत इकाई के रुप में स्थापित करने की इच्छा जाहिर की। पंचायत राज के संस्थागत ढाँचे को स्वीकार करते हुए इन्हे अधिकार एवं शक्तियाँ देने की बात पर जोर दिया।

72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने हेतु 16 सितम्बर 1991 को पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 17 वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया यह विधेयक 64 वे संविधान संशोधन विधेयक की ही संशोधित प्रति था। 64 वें विधेयक में तीनों स्तरो पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन आवश्यक रखा गया था जबकि 72 वें संविधान संशोधन विधेयक को भी अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत नवें हिस्से में जोड़ा गया।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

73 वां संविधान संशोधन

लोकसभा ने 72वे विधेयक की समीक्षा हेतु संसद सदस्यों की एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया। स्वः श्री नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता मे गठित इस समिति मे राज्यों एवं दलो के प्रतिनिधि संसद सदस्य थे। 22 दिसम्बर 1992 को समिति ने उपयोगिता एवं व्यवहारिकता की पृष्ठभूमि में विधेयक के विविध प्रावधानों का अध्ययन विधेयक को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रुप में पारित का दिया। 17 राज्यों से अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 24 अप्रैल 1993 से अधिनियम को सारे देश में लागू कर दिया गया। इस संशोधन के पश्चात् संविधान में एक नया भाग, भाग 9 जोड़ा गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतो से सम्बन्धित प्रावधान किये गये है। जिसमे 15 उप–अनुच्छेद है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "पंचायती राज के अभाव में जनतंत्र का कोई अर्थ नही है। भारत में इनकी उपेक्षा गांधी की उपेक्षा है।"

इस अधिनियम द्वारा ग्राम स्तर पर पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की कल्पना की गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक–तिहाई पद आरक्षित किए गए और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और पंचायते 11वीं अनुसूचि के 29 कार्यों के अनुसार कार्य करे। सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने में 73वां संवैधानिक संशोधन सहायक है और स्वतंत्रता के पश्चात् समाज में हो रहे परिवर्तन को जानने में भी सहायक है। 73 वें संविधान संशोधन द्वारा मृतप्रायः पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा दिए जाने से उनका अस्तित्व सुरक्षित हो गया है। 73 वे संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को न केवल प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुए बल्कि वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति भी हुई है जिसमे ग्रामीण विकास मे सहायता प्राप्त हो सकी है।

भारत में पंचायती राज संस्थाएँ

स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की स्थापना भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 12 सितम्बर 1959 को राजस्थान विधान मण्डल ने सबसे पहले पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को प्रगधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन नागौर में किया गया। इसका स्वरुप भिन्न–भिन्न राज्यों में अलग–अलग है।

आज भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था विद्यमान है उसका श्रेय बलवन्त राज समिति को जाता है जिनकी अध्यक्षता में "सामुदायिक प्रयोजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास सेना का अध्ययन दल" द्वारा पंचायती राज का श्री गणेश हुआ। भारत में विभिन्न राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार किया गया। इस त्रिस्तरीय संरचना का स्वरूप –

1. ग्राम स्तर – ग्राम तथा ग्राम पंचायत
2. खण्ड स्तर – पंचायत समिति
3. जिला स्तर – जिला परिषद्

1. **ग्राम स्तर :–** भारत की पंचायती राज प्रणाली में गाँव था छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा किसी एक गाँव या पंचायत का चुनाव करने वाले गाँवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। गतिशील और प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायती राज की सफलता के केन्द्र में होती है।
2. **पंचायत समिति :–** पंचायत राज योजना में मध्य स्तरीय संस्था को पंचायत समिति कहा जाता है। प्रत्येक विकास खण्ड में जितनी ग्राम पंचायते होती है, उनके ऊपर एक पंचायत समिति होती है। पंचायत राज की वर्तमान व्यवस्था के अधीन पंचायत समिति ही वह धूरी है जिसके चारो ओर पंचायती राज की सारी प्रवृतियाँ केन्द्रित है।
3. **जिला परिषद :–** पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर पर जिला परिषद होती है इसका गठन जिला परिषद् की स्थापना की जाती है। भारत में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से संरचनात्मक परिवर्तन ही नही हुए अपितु कार्यात्मक परिवर्तन भी हुए है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अधिक सक्षम, सक्रिय व प्रभावकारी रूप में उभरी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. राठौड, गिरवर सिंह, भारत में पंचायती राज, पंचशील प्रकाशन, 2004,पृष्ठ 1
2. कोठारी, रजनी, भारत में राजनीति, ओरियण्ट लागमेस, नई दिल्ली, 1970, पृष्ठ 95
3. कौटिल्य अर्थशास्त्र, चोखम्मा विद्या भवन, वाराणसी, प्रथम अध्याय 17 वाँ प्रकरण
4. अशोक मेहता समिति रिपोर्ट, पृष्ठ 3
5. नेहरू जवाहरलाल : भाषण, 2 अक्टूबर 1959
6. प्रसाद बेनी, हिन्दू पॉलिटी, पृष्ठ 51
7. पाण्डे राय, पंचायती राज, जयपुर पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर 1989, पृष्ठ – 5

RRIJM 2015, All Rights Reserved